छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **चतुर्दश सत्र**

बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2022

(आषाढ़ 29, शक सम्वत् 1944)

[अंक 01]

Web copy

विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष	डॉ. चरणदास महंत
उपाध्यक्ष	श्री मनोज सिंह मण्डावी
सचिव	श्री दिनेश शर्मा

सभापति तालिका

1. श्री सत्यनारायण शर्मा,
2. श्री धनेन्द्र साहू,
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह,
4. श्री शिवरतन शर्मा,
5. श्री बघेल लखेश्वर.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय राज्यपाल

सुश्री अनुसुईया उइके

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची

01.	श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जन सम्पर्क, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
02.	श्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.)
03.	श्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री	लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन
04.	श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री	संसदीय कार्य, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट
05.	डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री	स्कूल शिक्षा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, सहकारिता
06.	श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री	परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, विधि एवं विधायी कार्य
07.	श्री कवासी लखमा, मंत्री	वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्य एवं उद्योग
08.	डॉ.शिवकुमार डहरिया, मंत्री	नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम
09.	श्री अमरजीत भगत, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति
10.	श्रीमती अनिला भेंडिया, मंत्री	महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण
11.	श्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास,वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)
12.	श्री गुरू रूद्र कुमार, मंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग
13.	श्री उमेश पटेल, मंत्री	उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण

संसदीय सचिवों की सूची

01.	श्री चिंतामणी महाराज	लोक निर्माण मंत्री से संबद्ध
02.	श्री पारसनाथ राजवाड़े	उच्च शिक्षा मंत्री से संबद्ध
03.	श्रीमती अंबिका सिंहदेव	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से संबद्ध
04.	श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय	वन मंत्री से संबद्ध
05.	श्री द्वारिकाधीश यादव	आदिम जाति विकास मंत्री से संबद्ध
06.	श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे	पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से संबद्ध
07.	श्री इन्द्रशाह मण्डावी	राजस्व मंत्री से संबद्ध
08.	श्री कुंवर सिंह निषाद	खाद्य मंत्री से संबद्ध
09.	डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह	महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध
10.	श्री रेखचंद जैन	नगरीय प्रशासन मंत्री से संबद्ध
11.	सुश्री शकुन्तला साहू	कृषि मंत्री से संबद्ध
12.	श्री शिशुपाल सोरी	वन मंत्री से संबद्ध
13.	श्री यू.डी. मिंज	वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री से संबद्ध
14.	श्री विकास उपाध्याय	लोक निर्माण मंत्री से संबद्ध
15.	श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर	पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से संबद्ध

.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदस्यों की वर्णात्मक सूची
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

अ

01.	अजय चन्द्राकर	57-कुरूद
02.	अमरजीत भगत	11-सीतापुर (अ.ज.जा.)
03.	अरूण वोरा	64-दुर्ग शहर
04.	अनिता योगेंद्र शर्मा, श्रीमती	47-धरसींवा
05.	अनिला भेंडिया, श्रीमती	60-डौंडी लोहारा (अ.ज.जा.)
06.	अंबिका सिंहदेव, श्रीमती	03-बैकुंठपुर
07.	अमितेश शुक्ल	54-राजिम
08.	अनूप नाग	79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
09.	आशीष कुमार छाबड़ा	69-बेमेतरा

इ

01.	इंद्रशाह मण्डावी	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
02.	इंदू बंजारे, श्रीमती	38-पामगढ़ (अ.जा.)

उ

01.	उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती	17-सारंगढ़ (अ.जा.)
02.	उमेश पटेल	18-खरसिया

क

01.	कवासी लखमा	90-कोन्टा (अ.ज.जा.)
02.	कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.	32-मस्तूरी (अ.जा.)
03.	किस्मत लाल नंद	39-सरायपाली (अ.जा.)
04.	कुलदीप जुनेजा	50-रायपुर नगर उत्तर
05.	कुंवर सिंह निषाद	61-गुण्डरदेही
06.	के.के.ध्रुव, डॉ.	24-मरवाही (अ.ज.जा.)
07.	केशव प्रसाद चन्द्रा	37-जैजेपुर

ख

01	खेलसाय सिंह	04-प्रेमनगर

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

ग

01.	गुरू रूद्र कुमार	67-अहिवारा (अ.जा.)
02.	गुरूदयाल सिंह बंजारे	70-नवागढ़ (अ.जा.)
03.	गुलाब कमरो	01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)

च

01.	चक्रधर सिंह सिदार	15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
02.	चरणदास महंत, डॉ.	35-सक्ती
03.	चंदन कश्यप	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)
04.	चंद्रदेव प्रसाद राय	43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)
05.	चिन्तामणी महाराज	08-सामरी (अ.ज.जा.)

छ

01.	छन्नी चंदू साहू, श्रीमती	77-खुज्जी

ज

01.	जयसिंह अग्रवाल	21-कोरबा

ट

01.	टी.एस.सिंहदेव	10-अम्बिकापुर

ड

01.	डमरूधर पुजारी	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

त

01.	ताम्रध्वज साहू	63-दुर्ग ग्रामीण

द

01.	दलेश्वर साहू	76-डोंगरगांव
02.	द्वारिकाधीश यादव	41-खल्लारी
03.	देवती कर्मा	88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)
04.	देवेंद्र यादव	65-भिलाई नगर
05.	देवेंद्र बहादुर सिंह	40-बसना

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ध

01.	धरमलाल कौशिक	29-बिल्हा
02.	धनेन्द्र साहू	53-अभनपुर
03.	धर्मजीत सिंह	26-लोरमी

न

01.	ननकीराम कंवर	20-रामपुर (अ.ज.जा.)
02.	नारायण चंदेल	34-जांजगीर-चांपा

प

01.	प्रकाश शक्राजीत नायक	16-रायगढ़
02.	प्रमोद कुमार शर्मा	45-बलौदाबाजार
03.	पारसनाथ राजवाड़े	05- भटगांव
04.	प्रीतम राम, डा.	09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)
05.	पुन्नूलाल मोहले	27-मुंगेली (अ.जा.)
06.	पुरूषोत्तम कंवर	22-कटघोरा
07.	प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.	06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)

ब

01.	बृजमोहन अग्रवाल	51-रायपुर नगर(दक्षिण)
02.	बृहस्पत सिंह	07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)

भ

01.	भुनेश्वर शोभाराम बघेल	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)
02.	भूपेश बघेल	62-पाटन

म

01.	ममता चंद्राकर, श्रीमती	71-पण्डरिया
02.	मनोज सिंह मण्डावी	80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
03.	मोहन मरकाम	83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
04.	मोहित राम	23-पाली-तानाखार(अ.ज.जा.)
05.	मोहम्मद अकबर	72-कवर्धा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

य

01.	यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्रीमती	73-खैरागढ़
02.	यू.डी.मिंज	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)

र

01.	रजनीश कुमार सिंह	31-बेलतरा
02.	रंजना डीपेंद्र साहू, श्रीमती	58-धमतरी
03.	राजमन वेंजाम	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
04.	रमन सिंह, डॉ.	75-राजनांदगांव
05.	रामकुमार यादव	36-चंद्रपुर
06.	रामपुकार सिंह ठाकुर	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)
07.	रविन्द्र चौबे	68-साजा
08.	रश्मि आशिष सिंह, डॉ. (श्रीमती)	28-तखतपुर
09.	रेखचंद जैन	86-जगदलपुर
10.	रेणु अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती)	25-कोटा

ल

01.	लक्ष्मी ध्रुव, डॉ.	56-सिहावा (अ.ज.जा.)
02.	लखेश्वर बघेल	85-बस्तर (अ.ज.जा.)
03.	लालजीत सिंह राठिया	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)

व

01.	विक्रम मण्डावी	89-बीजापुर (अ.ज.जा.)
02.	विनय जायसवाल, डॉ.	02-मनेन्द्रगढ़
03.	विनय कुमार भगत	12-जशपुर (अ.ज.जा.)
04.	विद्यारतन भसीन	66-वैशाली नगर
05.	विकास उपाध्याय	49-रायपुर नगर पश्चिम
06.	विनोद सेवन लाल चंद्राकर	42-महासमुन्द

श

01.	शकुन्तला साहू, सुश्री	44-कसडोल
02.	शिवरतन शर्मा	46-भाटापारा
03.	शिवकुमार डहरिया, डॉ.	52-आरंग (अ.जा.)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

04.	शिशुपाल सोरी	81-कांकेर (अ.ज.जा.)
05.	शैलेश पाण्डे	30-बिलासपुर

स

01.	सत्यनारायण शर्मा	48-रायपुर ग्रामीण
02.	संतराम नेताम	82-केशकाल (अ.ज.जा.)
03.	संगीता सिन्हा, श्रीमती	59-संजारी बालोद
04.	सौरभ सिंह	33-अकलतरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2022

(आषाढ़ 29, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

समय :
11.00 बजे

राष्ट्रगीत/राज्यगीत

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के साथ राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" होगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिये कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" और राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" का गायन किया गया।)

समय :
11.03 बजे

निधन का उल्लेख

(1) श्री चक्रधारी सिंह, पूर्व सांसद, लोकसभा ।

(2) श्री भजन सिंह निरंकारी, पूर्व सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि लोकसभा के पूर्व सांसद, श्री चक्रधारी सिंह जी का दिनांक 31 मई, 2022 तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य, श्री भजन सिंह निरंकारी का दिनांक 02 जुलाई, 2022 को निधन हो गया है ।

श्री चक्रधारी सिंह जी का जन्म दिनांक 26 सितम्बर, 1938 को हुआ था । श्री चक्रधारी सिंह जी ने बी.ए., एल.एल.बी. तक की शिक्षा प्राप्त की थी । वे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सरगुजा निर्वाचन क्षेत्र से सन् 1980 में सातवीं लोक सभा के सांसद निर्वाचित हुए । आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिये हमेशा कठिन प्रयास किया, हमेशा प्रयत्नशील रहे । उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भजन सिंह निरंकारी का जन्म 01 जून, 1942 को ग्राम-नगोई, जिला-बिलासपुर में हुआ था। श्री भजन सिंह निरंकारी जी ने बी.ए., एल.एल.बी. तक की शिक्षा प्राप्त की थी । उनका मुख्य व्यवसाय वकालत था । छात्र जीवन से ही वे राजनीति एवं सामाजिक कार्य में सक्रिय रहे । वर्ष 2009 में निर्वाचन क्षेत्र वैशालीनगर से उपनिर्वाचन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वे छत्तीसगढ़ विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे । उनकी सांस्कृतिक एवं जनसेवा में विशेष अभिरूचि थी । उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चक्रधारी सिंह जी सरगुजा के बहुत ही लोकप्रिय आदिवासी नेता थे, जिनका जन्म 1936 में दरिमा के पास बरगांव में हुआ था । कंवर राजपरिवार के सदस्य श्री चक्रधारी जी बचपन से ही मेधावी थे, वे ग्रामीण में जन्मे उसके बावजूद भी उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की । अध्यक्ष महोदय, उनकी पहचान ग़रीबों में मददगार अधिवक्ता के रूप में बनी । वे आदिवासी समाज के साथ-साथ ग़रीब जनता के सच्चे चिंतक थे । वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही और 1980 में सरगुजा ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे । 1980 में ही कांग्रेस की टिकिट पर वे भारी बहुमत से सरगुजा लोक सभा सदस्य चुने गए । चक्रधारी सिंह जी आदिवासी बाहुल्य अंचल के सरगुजा की मुखर आवाज़ बनकर उभरे और जनकल्याणकारी सोच के कारण ही वे संसद में भी काफी लोकप्रिय थे और छत्तीसगढ़ी सरलता के प्रतीक कहलाते थे । छत्तीसगढ़ राज बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, महामंत्री के रूप में 2000 से लेकर 2006 तक वे सक्रिय रहे। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ । उनके निधन से एक रिक्तता आई, बहुत ही सहज, सरल आदिवासी नेता हमारे बीच से चले गए, उनकी रिक्तता कभी भरी नहीं जा सकेगी । उनके भरे पूरे परिवार में एक लड़की जो डॉक्टर बनकर सेवा कर रही है । मैं उन्हें सदन और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

भजन सिंह निरंकारी जी दुर्ग ज़िले के वैशाली नगर विधान सभा के उप चुनाव में निर्वाचित हुए थे । 78 वर्षीय निरंकारी जी का 2 जुलाई, 2020 को आकस्मिक निधन हो गया । निरंकारी जी धुन के पक्के थे, जुझारू और व्यवहार कुशल थे । उन्होंने युवक कांग्रेस से राजनीति की शुरूआत की और विभिन्न संगठनों में, सेवादल में, कौमी एकता संगठन में, मध्यप्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में फिर साडा अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने क्षेत्र को सेवाएं दीं । उनका पूरा जीवन कांग्रेस की रीति-नीति और कांग्रेस के सिद्धान्तों के साथ चलते हुए बीता । निरंकारी जी जहां राजनीति में सक्रिय थे, वहीं सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी सक्रियता निरंतर बनी रही, वे छत्तीसगढ़ ज़ोन के निरंकारी समाज के अध्यक्ष भी रहे और वे पूरे जीवन भर सक्रिय रहे । अंतिम दिन में भी वे सक्रिय थे, पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए, बिलासपुर गए वहां से लौटे और अंतिम क्षण तक वे क्रियाशील रहे । उनके निधन से निश्चित रूप से एक अपूरणीय क्षति हुई है । हम लोगों के तो व्यक्तिगत् संबंध रहे हैं । बड़े भाई की

तरह हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, सानिध्य मिलता रहा, इस तरह उनके निधन से व्यक्तिगत् क्षति भी हुई है । मैं सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चक्रधारी जी अब हमारे बीच नहीं रहे । जैसा कि उनके संदर्भ में बातें आई हैं कि वनांचल क्षेत्र से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और विभिन्न संगठनों में दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोक सभा में सांसद के रूप में पहुंचे । सांसद के रूप में उन्होंने हमेशा अविभाजित मध्यप्रदेश और अपने लोक सभा क्षेत्र की जनजातियों की आवाज़ उठाते रहे हैं । उनके हितों में कार्य करते रहे हैं और उसके साथ ही संगठन में अनेक दायित्वों का निवर्हन किया गया है । ऐसे आदिवासी नेता का खो जाना निश्चित रूप से हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है । मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं ।

भजन सिंह निरंकारी जी का जन्म बिलासपुर जिले के नगोई में हुआ । उसके बाद वे भिलाई में आकर उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया । वे राजनेता के साथ ही साथ एक वकील भी रहे और वे वकील के रूप में भी गरीबों की सेवा करते रहे। इसके साथ में उन्होंने विभिन्न संगठन में दायित्वों का निर्वाह करते हुए अलग-अलग दायित्वों का भी निर्वाह किया। मुझे याद है कि जब मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा का अध्यक्ष था तो उस समय वह अपने एक नाती को विधानसभा लेकर आते थे और मैं समझता हूं कि वह लड़का भी बहुत होशियार था। जब निरंकारी जी हमारे कार्यालय के चेंबर में बैठते तो सबसे अपने नाती का परिचय कराते रहते थे, बाकी लोग भी उससे बात करते रहते थे। एक विधायक बनने के बाद भी भजन सिंह निरंकारी जी का जो जीवन था, वह ऐसा रहा जो सादा जीवन उच्च विचार हो। दूसरा, उनका सब लोगों से मिलना-जुलना, बातचीत करना, हंसते रहना व अपने विधान सभा क्षेत्र के प्रति अपने दायित्वों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रही है और अपने जीवन काल में जो हो सका है, उसको उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। आज हमारे बीच में उनके नहीं रहने से न केवल पार्टी के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी अपूरणीय क्षति है। मैं उनको श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि दोनों दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और भगवान अपने चरणों में स्थान दें।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अमरजीत भगत।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चक्रधारी सिंह जी, पूर्व सांसद, सरगुजा लोक सभा का निधन हम लोगों के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय चक्रधारी सिंह जी, आदिवासी लोगों के एक बड़े चेहरा थे। वह कंवर समाज से आते थे। वह जमींदार परिवार के थे, लेकिन उनका जीवनशैली बेहद सादगी और ईमानदारीपूर्वक बीता। वह वर्ष 1980 से 1984 तक सरगुजा लोक सभा के सांसद रहे और वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। आज भी उनका गांव और घर देखेंगे तो उनका एक खपड़ैल का मकान है। वह इतना ईमानदार, सरल व सहज व्यक्तित्व के थे, वैसे ही

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह पेशे से वकील भी थे। वह वकालत भी करते थे, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ एकदम सादगीपूर्ण एवं शुद्ध ग्रामीण परिवेश में था। वह बेहद पढ़े-लिखे और लोगों को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व था। वह राजनीतिक रूप से हमारे अभिभावक भी थे और संरक्षक भी थे। जब भी मौका मिलता था तो हम उनके पास बैठते थे। वह जरूर अपना पूरा राजनीतिक जीवन स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी से मिलकर और साथ में ही रहकर बिताया, लेकिन वह वैचारिक रूप से स्वतंत्र विचारधारा के थे। कोई भी व्यक्ति यदि उनके सामने विचार लाते थे तो वह हमेशा आगे बढ़कर लोगों की मदद करते थे। जब माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उनको नगर निगम में महापौर का टिकट दे दिये थे। उनके समय में जब हम लोग प्रचार के लिए निकलते थे तो वह बोलते थे कि चुनाव में यहां पर ऐसा करना है, वैसा करना है। वह बेहद सरल शब्दों में कहते थे कि देख बाबू, मैं हर जितना होही ता जितहू, हारना होही ता हारहू, लेकिन मैं हर ये सब काम नई करौं। राजनीति में अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वह बड़े स्पष्टवादी नेता थे कि उन्होंने अपने सिद्धांत के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगीपूर्वक और ईमानदारीपूर्वक व्यतीत किया। मैं मानता हूं कि आज के समय में ऐसे व्यक्तित्व का होना बहुत ही विरल देखने को मिलता है। उनके जाने से हम लोगों को राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके जाने से सामाजिक रूप से भी क्षति हुई है। उनकी जो रिक्तियां हैं, उसको हम लोग कभी नहीं भर पायेंगे।

स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी, जो कि पूर्व विधायक रहे। हम लोग एक साथ सदन में काम किये। उनका भी लोगों के प्रति जो व्यवहार था, वह सहज ही आकर्षित करता था। वह किसी भी बात को बोलने से परहेज नहीं करते थे और किसी बात को बोलने से कभी बुरा भी नहीं मानते थे। हम लोगों से उनका उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन हम लोग उनके साथ बहुत मजाक भी करते थे। उनके साथ बिताये हुए पल को हम लोग हमेशा याद करेंगे। मैं इन दोनों विभूतियों को अपनी श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चक्रधारी सिंह जी बरगांवा जमींदार परिवार से आते थे और सन् 1980 में वह सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो कर लोकसभा के सदस्य बने। वह बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वह आदिवासियों में बहुत ही लोकप्रिय थे। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर भी मिला। जब वह वहां पर सांसद के रूप में काम करते थे और जब हम लोग वहां पर विधायक के रूप में थे तो उनका आना-जाना लगा रहता था। वह राज्यवासियों के हित में चर्चा करते थे। सरगुजा के कोयला खदान की समस्याओं का निदान करने के लिए हम लोग हमेशा उनके साथ में रहते थे। वह बेहद ही सरल स्वभाव के व्यक्ति और आदिवासी नेता था। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। हम उनको श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं।

श्री भजन सिंह निरंकारी जी, हम सबके साथ विधायक रहें। हमें उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला। वह बेहद ही सरल व्यक्ति थे। वह वकालत भी करते थे। निरंकारी जी आखिरी दम तक अपने क्षेत्र के लोगों का काम कराने के लिए सक्रिय रहें। वह बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे। आज हम अपने दोनों महानुभावों को खो दिये हैं। मैं उनके प्रति अपना श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अरूण वोरा जी।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन संसदीय क्षेत्र की दो महान विभूतियों का स्मरण कर श्रद्धान्वत है। श्रद्धेय श्री चक्रधारी सिंह जी सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे हैं और वह आदिवासी नेता थे। उनका संपूर्ण जीवन एक निष्काम कर्मयोगी की तरह बीता। उन्होंने अपने पूरे संसदीय कार्यकाल में न केवल आदिवासियों के हितों की रक्षा की, बल्कि उन्होंने सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए भी संसद में अपनी आवाज बुलंद की और उन्होंने संसद में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिलाया।

श्री भजन सिंह निरंकारी जी, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। मैं समझता हूं कि उनके निधन से मध्यप्रदेश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को भी भारी नुकसान व क्षति हुई है। उन्होंने सन् 1972 से लेकर अभी तक हमारे बाबू जी स्व. श्री मोतीलाल वोरा जी के साथ जुड़कर काम किया और उन्होंने एक ओजस्वी वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी कर्मठता और कार्य करने की शैली देखते बनती थी। उनके निधन से जहां राजनीति में क्षति हुई है, वहीं मैं इसे अपने परिवार की भी क्षति मानता हूं। वह दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष रहें। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहें और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (भिलाई) के अध्यक्ष रहें। उन्होंने इन सब विभागों में अपनी जो छाप छोड़ी है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। वह निरंकारी मण्डल से भी जुड़े हुए थे और वह सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते थे। जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित किया, वहीं उन्होंने अपने अंतिम समय में भी नेत्रदान करके इस बात को बतला दिया कि आदमी के जाने के बाद भी उसकी उपयोगिता होती है। उसके आंखों की उपयोगिता होती है। आज उनकी आंखों से दो लोगों को रौशनी मिलेगी। मैं ऐसे वरिष्ठ नेता श्री भजन सिंह निरंकारी जी को बहुत-बहुत नमन करता हूं। मैंने भी अपनी शुरूआत भजन सिंह जी के साथ ही शुरू की थी और ग्रामीण क्षेत्र से श्री ताम्रध्वज साहू जी भी हमारे साथ में थे। मैं उस समय सन् 1993 में पहली बार विधायक बना। श्री भजन सिंह निरंकारी जी और श्री ताम्रध्वज साहू जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में अब सदन कुछ देर के लिए मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा खड़े होकर दो मिनट मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- ओम शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(11:20 से 11:31 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

11:31 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

<u>केशकाल वन मंडल में सम्पादित कार्य</u>

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

1. (*क्र. 80) श्री सन्त राम नेताम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) केशकाल वन मंडल द्वारा वर्ष 2020 से दिनाक 31 मई, 2022 तक किन किन स्थानों पर कौन कौन से विभागीय एवं खनिज न्यास निधि के कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनकी लागत कितनी है ? कार्यवार विवरण प्रदान करें? (ख) प्रश्न "क" अनुसार उक्त कार्य में से कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हैं ? यदि अपूर्ण हैं, तो कब तक पूर्ण किये जायेंगे ? विवरण प्रदान करें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ में दर्शित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ में दर्शित है ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से केशकाल वन मण्डल में विभागीय कार्य एवं खनिज न्यास निधि के संबंध में प्रश्न किया था । मंत्री जी ने जानकारी दी है कि 97 कार्य अपूर्ण है । मैं जानना चाहता हूं कि यह अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किए जाएंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फंड एलाटमेंट के कारण कार्य में विलंब हुआ है । जल्दी से अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराएंगे ।

श्री संतराम नेताम :- ठीक है ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

रायगढ़ जिले में पर्यावरण विभाग द्वारा फ्लाई एश से खदान भराव के लिए प्रदत्त अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

2. (*क्र. 126) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिले में 1 जनवरी, 2020 से 31 मई, 2022 तक पर्यावरण विभाग द्वारा फ्लाई एश से खदान भराव के लिए किस उद्योग और ट्रांसपोर्टर को कहां के लिए अनुमति दी गई है ? स्लैग उत्सर्जन मात्रा की जानकारी भी देवें। उक्त अवधि में रायगढ़ जिले में लोईंग एरिया के नाम पर किस-किस को कहां फ्लाई एश पाटने की अनुमति दी गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : रायगढ़ जिले में प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा फ्लाई ऐश से खदान भराव हेतु जारी की गई अनापत्ति संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ[1] के अनुसार है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ट्रांसपोर्टरों को पृथक से अनुमति/अनापत्ति प्रदान नही की गई है। रायगढ़ जिले अंतर्गत संचालित उद्योग से प्रतिमाह लगभग 256808 मीट्रिक टन स्लैग जनित होता है। रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश के लो-लाइंग एरिया में भू भराव हेतु जारी की गई अनापत्ति की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब के अनुसार है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रायगढ़ जिले के उद्योगों के फ्लाई ऐश से खदान भराव के संबंध में प्रश्न लगाया है, माननीय मंत्री जी की ओर से मुझे जवाब दिया गया है, लेकिन जितनी मात्रा में उन उद्योगों को फ्लाई ऐश डंप करने की अनुमति मिली थी, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उद्योगों द्वारा फ्लाई ऐश डंप किया गया है । खासकर डी.बी. पावर द्वारा गुड़ेली में जितनी मात्रा में उनको डंप करने की अनुमति मिली थी, उससे कई गुना अवैध फ्लाई ऐश डंप किया है, उसके अलावा सड़कों और रास्तों, कहीं कहीं पर भी उन्होंने फ्लाई ऐश डंप किया है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसकी जांच कराएंगे क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड के बारे में प्रश्न किया है । इसमें ग्राम गुड़ेली, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ के खसरा नम्बर 315/3, रकबा 0.081, जो बृजमोहन, पिता-कालीचरण भूमि स्वामी है, इसमें इनको 28 हजार टन क्षमता की अनुमति दी गई है और भराव की अद्यतन स्थिति 27365 टन है । जितनी की अनुमति दी गई है, उससे भी डंप कम है इसलिए इसमें कोई जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हें लगभग 28 हजार टन फ्लाई ऐश डंप करने की अनुमति मिली थी, लेकिन वहां 28 हजार टन की जगह लगभग 10 गुना ज्यादा 2 लाख,

[1] परिशिष्ट-एक

80 हजार टन फ्लाई ऐश वे फेंक चुके हैं और इसकी मुझे जानकारी मिली है । आप इसकी जांच करा देंगे क्या, इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है । यदि आपको ऐसा लगता है कि अनुमति से अधिक डंप किया जा रहा है तो जांच करा लेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि डी.बी. पॉवर प्लांट मोरे एरिया के । मैं हमेशा सदन के अंदर में बात करत रहिथव कि ओमन तो अइसन हे कि आर.के. एम. कम्पनी एवं डी.बी. पॉवर प्लांट ह सड़क के किनारे में फ्लाई ऐश ला फेंककर चले जाथे । यहां तक कि एक ठी केकराभाट गांव हे, उँहा पूरा राखर ला पूरा गांव में छोड़कर चले जाथे। मोर निवेदन हे कि आर.के.एम. कम्पनी के भी आप जांच करा देवव ।

अध्यक्ष महोदय :- वे आर.के.एम. के बारे में पूछ रहे हैं और प्रश्न डी.बी. पॉवर के बारे में है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, वही हे । राखड़ के ही बात होवथे।

अध्यक्ष महोदय :- करा लेंगे । मंत्री जी ने सुन लिया है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी जांच करा लेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- ठीक हे ।

<u>मुंगेली विधान सभा क्षेत्र मे हेतु विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदन</u>

[ऊर्जा]

3. (*क्र. 296) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मुंगेली विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कृषि पंप हेतु विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन जनवरी, 2019 से दिनांक 31 मई, 2022 (ख) कंडिका "क" के कितने प्रकरणों में अस्थायी/स्थायी विद्युत कनेक्शन दिए गए? (ग) कंडिका "क" के अंतर्गत कितने प्रकरण लंबित हैं तथा क्यों और कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मुंगेली विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कृषि विद्युत पंप हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शन के 689 एवं स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु 2,305, इस तरह कुल 2,994 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' के अस्थायी विद्युत कनेक्शन के प्राप्त सभी 689 आवेदनों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये गये हैं तथा स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त 2,305 आवेदनों में से 1,231 आवेदकों को स्थायी विद्युत पम्प कनेक्शन प्रदाय किया गया है। (ग) उत्तरांश ''क'' के अनुसार सिंचाई पंपों के स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु 1,074 (2,305-1,231) लंबित आवेदनों में से 957 विद्युत लाईन विस्तार कार्य हेतु, 4 आवेदन कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने हेतु एवं 113

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं। लाईन विस्तार कार्य हेतु लंबित 957 आवेदनों में से 147 पंपों के कार्य वर्ष 2022-23 में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित 147 आवेदनों के लक्ष्य के अनुरूप माह मार्च 2023 तक किये जाने के प्रयास हैं। शेष 810 (957-147) पंपों के कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप किये जायेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है कि कृषि विद्युत पंप हेतु 689 अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कितने कृषक अनुसूचित जाति, कितने कृषक अनुसूचित जनजाति और कितने कृषक पिछड़े वर्ग के हैं, यह बताने का कष्ट करें तथा अस्थायी कनेक्शन को स्थायी करेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष जी, कितने कृषक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं, मैं उसकी जानकारी आपको अलग से दे दूंगा क्योंकि सभी के बारे में इतनी लंबी लिस्ट बता पाना अभी संभव नहीं है । इसलिए मैं आपको उसकी सूची अलग से दे दूंगा कि कितने कृषक अ.ज.जा. के हैं, कितने कृषक अ.जा. के हैं और कितने कृषक पिछड़े वर्ग के हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अस्थाई कनेक्शन की बात है, जैसे ही किसान पंप लगवाने के लिए खुदाई करवाता है और अस्थाई कनेक्शन हेतु आवेदन करता है तो उन्हें अस्थाई कनेक्शन दे दिया गया है। जहां तक आपके मुंगेली विधानसभा क्षेत्र की बात है, आपने मुंगेली विधानसभा क्षेत्र का पूछा तो उसमें 689 अस्थाई कनेक्शन और 2,305 स्थाई कनेक्शन, कुल मिलाकर 2,994 आवेदन पंप हेतु प्राप्त हुए हैं। जिसमें 689 अस्थाई कनेक्शन दे दिया गया है साथ ही 1,231 स्थाई कनेक्शन दे दिया गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय :- आप कभी तो संतुष्ट हो जाया करो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्थाई कनेक्शन को स्थाई करने के लिए बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कभी संतुष्ट हो जाया करो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आप ही के नाम से वहां तक प्रश्न लाया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उनकी उम्र के हिसाब से बोल रहे है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- उम्र के अनुसार नहीं, कम से कम मुख्यमंत्री जी के साथ संतुष्ट रहें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्थाई कनेक्शन को स्थाई करेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वह प्रक्रिया में है। हर जिले का कोटा निर्धारित होता है और उस हिसाब से जैसे-जैसे प्रक्रिया पूरी होती है, कनेक्शन दिया जाता है। उसमें किसानों के आवेदन आते हैं,

उसका सर्वे होता है उसके बाद डिमाण्ड भेजा जाता है। वह सारी प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसके हिसाब से स्थाई कनेक्शन दिया जाता है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न है। 810 कनेक्शन और बचे हैं, जिसको आपने आगामी वर्ष के लिए लिखा है। आपने पिछले बजट सत्र में कहा था कि हम पूरे प्रदेश के सभी कनेक्शन को स्वीकृत करेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि जो लंबित 810 कनेक्शन हैं और 1,047 का लक्ष्य रखा है तो आप क्या उसको पूरा करेंगे ? ऐसी मेरी आशा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले विधानसभा सत्र में माननीय धर्मजीत जी और हमारे सभी विधायक साथी लोगों ने इस मामले को उठाया था कि जितने भी अस्थाई कनेक्शन हैं, उसे स्थाई कनेक्शन दे दिया जाये। तो इसमें 31,932 अस्थाई कनेक्शन को स्थाई करने का था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि 31,932 के विरूद्ध 36,730 स्थाई कनेक्शन दिए गए हैं और अपग्रिड के माध्यम से 16,617 कनेक्शन दिए गए। इस तरह अभी तक इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 53,347 कनेक्शन पूरे प्रदेश में दिए गए हैं। अभी तक जितने भी वित्तीय वर्ष में जो कनेक्शन दिए गए थे, उसमें यह एक रिकार्ड है। अपग्रिड और विद्युत लाईन के माध्यम से 53 हजार से भी अधिक पम्प कनेक्शन दिए गए हैं, यह अपने आप में एक रिकार्ड है। मैंने पिछले समय सदन में घोषणा की थी, वह पूरा हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 810 लंबित प्रकरणों की स्वीकृति की बात कर रहा हूं। आपने पूरा किया, ठीक है। लेकिन जो 810 लंबित प्रकरण है, उसको स्वीकृत करेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वह प्रक्रियाधीन है। हर जिले का अलग-अलग कोटा निर्धारित रहता है, जैसे-जैसे वित्तीय व्यवस्था होती जायेगी, जैसे-जैसे उपलब्ध होगा, उसको करते जायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, लंबित कनेक्शन हैं, 50,250 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने पैसा पटा दिया है, उनका कनेक्शन नहीं लग पाया है। सरकार वित्तीय व्यवस्था कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी रिकार्ड कायम करने की बात करते हैं तो रिकार्ड लंबित प्रकरण का भी हैं। अभी 50,250 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें किसानों का पैसा पट चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ लंबित कनेक्शन का ही ध्यान आकर्षित किया है, उसे अगले समय करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री अमितेश शुक्ल :- शर्मा जी, 53 हजार कनेक्शन के लिए तो धन्यवाद दे दो, उसके बाद देखा जायेगा।

अप्रवर्तित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज्य के जल जीवन मिशन योजना की विस्तृत जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. (*क्र. 92) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21,2021-22 तथा 2022-23 में मई, 2022 तक घरेलू नल कनेक्शन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं? (ख) उक्त वित्तीय वर्षों में दिनांक 30 मई, 2022 तक कितनी-कितनी केन्द्रांश व राज्यांश राशि प्राप्त हुई हैं? कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं कितनी शेष हैं? वर्षवार बतायें? (ग) उक्त दोनों वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य में से कितने घरेलू नल कनेक्शन स्वीकृत हुये कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं तथा अपूर्णता के कारण क्या है और कब तक पूर्ण कर ली जायेगी। (घ) दिनांक 30 जून 2022 की स्थिति में निर्धारित लक्ष्यों में से लक्ष्येपूर्ति कितना प्रतिशत पीछे/आगे चल रही है? यदि पीछे है तो क्या कारण है और उसके जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? (वर्षवार बतायें)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) :(क) राज्य में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 में क्रमशः 20.61 लाख, 22.15 लाख एवं 23.57 लाख कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (ख) उक्त वित्तीय वर्षों में दिनांक 30 मई, 2022 तक वर्षवार प्राप्त केन्द्रांश व राज्यांश राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी संलग्नं प्रपत्र अनुसार है। (ग) उक्त दोनों वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 3874999 घरेलू नल कनेक्शन की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।30 जून 2022 की स्थिति में 625704 घरेलू नल कनेक्शन कार्य पूर्ण एवं 3249295 अपूर्ण हैं। शासन द्वारा सितंबर 2023 तक जल जीवन मिशन योजना के कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है। (घ) निर्धारित लक्ष्य, अनुपातिक प्रगति से पीछे है। कोविड-19 महामारी के कारण। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अर्हतानुसार पात्र निविदाकारों की अनुपलब्धता एवं क्षेत्र में निविदाकारों द्वारा निविदा में भाग न लेना। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जो निर्धारित लक्ष्य था, लक्ष्य से अनुपातिक प्रगति से पीछे हैं। पीछे रहने के क्या-क्या कारण हैं और कारणों की जानकारी होने पर आपने कब-कब और क्या-क्या उपाय निकालकर इस महति योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहला प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत

राज्यांश की राशि कितनी प्रतिशत होती है और केन्द्रांश की राशि कितनी प्रतिशत होती है, कृपया बताईये ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, कार्य पीछे होने का कारण भी मेरे उत्तर में है, जो मैं उनको दे चुका हूं। 50 प्रतिशत राज्यांश है और 50 प्रतिशत केन्द्रांश है, यह योजना के लिए है। उसके अलावा सपोर्ट मद में 60:40 परशेंट होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि परिशिष्ट आप भी देख लीजिएगा, वर्ष 2019-2020 के राज्यांश और केन्द्रांश में से कितने प्रतिशत राशि आपने खर्च की है और 50 प्रतिशत राशि में से कितने प्रतिशत राशि आपने राज्यांश की दी ? वैसे ही वर्ष 2020-2021 में आपको कितने प्रतिशत राशि केन्द्रांश के अनुपात में राज्यांश प्राप्त हुई और कितने प्रतिशत राशि आपने व्यय की और वर्ष 2021-2022 में जो तीनों साल का परिशिष्ट में दिया है, राज्यांश से कितने प्रतिशत राशि आपको प्राप्त हुई और कितना पैसा आपने खर्च किया ? कुलमिलाकर वर्षवार आपने घोषित लक्ष्यों के विरूद्ध कितनी भौतिक उपलब्धि हासिल की ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, वह तो मेरे उत्तर में ही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में नहीं है । महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो पूछ रहा हूँ कि राज्यांश की राशि के कितने प्रतिशत आपको कम मिले हैं ? असली विषय यह है कि इस योजना में राज्यांश की राशि ही नहीं मिल रही है और राज्यांश की राशि मिली है तो उसको योजना में खर्च ही नहीं किया जा रहा है । जो आपके कारण बताये गये हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि नक्सलवाद तीन विकासखंडों में सिमट गया है, बाकी विभाग में कोरोना में काम हो रहे हैं...।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- इसमें नक्सलवाद कहां से आ गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने उत्तर में लिखा है । आप अपना उत्तर पढ़िये ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- पढ़िये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पढ़िये ना, मैं तो पढ़ा हूँ ना, इसीलिए बोल रहा हूँ ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- नक्सली एरिया, नक्सलवाद नहीं । आप मिक्स अप कर रहे हैं । नक्सली एरिया और नक्सलवाद दोनों अलग चीज होती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हॉ, नक्सली एरिया । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना ..।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- नक्सल एरिया और नक्सलवाद दोनों अलग चीज होती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह बहाने के तौर पर नक्सलवाद और नक्सली क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है । मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है । हर बात का उत्तर यह है कि मैंने परिशिष्ट में दे दिया । वर्षवार लक्ष्य में आपको राज्य से कितनी राशि प्राप्त हुई है और आपने कितना पैसा व्यय

किया ? तीनों साल का बता दीजिए कि कितना पैसा व्यय किया और कितने की प्रशासकीय स्वीकृति दी ? उसके विरूद्ध कितनी उपलब्धि आपको हासिल हुई ? इसमें बताने में क्या है, यह उत्तर प्रश्न में ही है ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष जी, मैं पढ़ देता हूँ । मेरे प्रश्न में यही उत्तर में था । दोबारा पढ़ देता हूँ । वर्ष 2020-2021 में केन्द्रांश 44552.00 लाख और राज्यांश 43661.00 लाख, यह स्वीकृति होने की मैं जानकारी दे रहा हूँ । वर्ष 2021-2022 में 190896.00 लाख यह रहा केन्द्रांश और राज्यांश 190637.00 लाख, वर्ष 2022-2023 में 222398.00 लाख और राज्यांश 216908.00 लाख, यह तीनों वर्ष की जानकारी है । दूसरा क्वेश्चन का उत्तर भी सुन लीजिए ना । अध्यक्ष जी, जब यह योजना लान्च हुई, उसी समय लॉकडाऊन लगा । अध्यक्ष जी, मैंने जब बजट पेश किया था, तभी मैंने बताया था, केन्द्र के नियम बदलते रहे, एक वजह वह भी रही । बार-बार नियम बदलने के कारण इस योजना को चालू करने में देरी हुई है । दूसरा कोरोनाकाल था, उसके बावजूद भी हमारे अधिकारी लोग अपने स्तर पर जितना काम कर सकते थे, कर रहे थे और नक्सलाईट बेल्ट जो है अध्यक्ष जी, ऐसे जगहों पर ठेकेदार लोग जाने को देखते नहीं है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में

नक्सलियों को पीछे धकेला गया है, लेकिन फिर भी है । ऐसे जगहों में काम करने के लिए आज की तारीख में रायपुर के ठेकेदार को अगर बोलोगे तो वह वहां पर जाकर काम करने को नहीं देखता । इसलिए कई बार टेण्डर लगने के बाद भी टेण्डर नहीं खुल पाता है, क्योंकि कोई एप्लाई नहीं करता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वजह देरी होने की यह भी होती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, जितना राज्यांश आपको पूरा देना है, 50-50 प्रतिशत का, आपको पूरा मिला है क्या ? जब आपने मुझे बैठने का आग्रह किया तो मेरे प्रश्न पूरा होने तक आप बैठ जाईये ।

अध्यक्ष महोदय :- आप आदेशित का भाषा में कह रहे हैं, उन्होंने आग्रह किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह गुरूदेव है, निवेदन कर देता हूँ । इतनी छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न नही बनाता । सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसमें यह है कि पहले साल का भी राज्यांश, दूसरे साल का भी राज्यांश, तीसरे साल का भी राज्यांश पूरा प्राप्त नहीं हुआ है । पहले साल जो वर्ष 2020-2021 के इन्होंने भौतिक लक्ष्य तय किया था कि 10 हजार कनेक्शन देना है और इतना पैसा व्यय करना है। उतना भौतिक लक्ष्य 3 साल पहले का वह भी पूरा नहीं हुआ है, दूसरे साल का, तीसरे साल का भौतिक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। जिसको वह बार-बार पूछने के बाद भी नहीं बता रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वर्ष 2021 में दोनों का अंश मिलाकर कितना पैसा मिला? क्या आपने उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दी और उसमें आपको कितने भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए ? अब जो कारण बता रहे हैं, उसका असली कारण मैं

बता देता हूं कि पी.एच.ई. के ठेकेदारों को 5-6 महीने से कोई भुगतान ही नहीं हो रहा है। आपको कहां से ठेकेदार मिलेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें, क्योंकि सब कोई पढ़े हैं और आप भी पढ़े हैं कि यदि आप 5000 कनेक्शन प्रतिदिन नहीं देंगे तो केन्द्र की राशि रोक दी जायेगी। यह महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ में दम तोड़ दी है और आप उतना कनेक्शन प्रतिदिन नहीं दे पा रहे हैं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- 4 महीने से केन्द्र की राशि रोक दी गई थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर ऐसा लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गरीबों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप सीधा बताईये कि 3 साल पहले का, दूसरे साल का लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ ? इस साल कोविड नहीं है, इस साल लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हो रहा है ? इस साल तो कोई अभी राशि ही नहीं मिली है। कोविड मेरे हर प्रश्न के उत्तर मे आता है। कोविड इन्हीं भर के लिए चल रहा है, प्रदेश में और किसी विभाग में कोविड नहीं चल रहा है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका जवाब दूंगा। सबको पता है कि कोविड 02 साल था। यह जो ठेकेदार के पेमेन्ट की बात बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल बोलता हूं, क्योंकि पिछले 04 महीने से केन्द्र ने पेमेन्ट रोक दिया था, इस कारण ठेकेदारों का पेमेंट करने में देरी हुई। आप मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं आपकी बात बहुत शांति से सुन रहा था। कुल मिलाकर आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह तय किया गया कि अगर केन्द्र अपना पेमेंट करने में देरी कर रहा है तो हम हमारा राज्यांश जारी करके पेमेंट करेंगे। आगे भी इसी विषय से संबंधित प्रश्न है, मैं उस प्रश्न में भी इसी का जवाब दूंगा। 3 महीने का इंतजार करने के बाद जब चौथे महीने हमने राज्यांश जारी किया तो उसके बाद केन्द्र ने पैसा रिलीज किया। यह हमारी गलती नहीं थी। क्योंकि आधा फंड हमारा है, जब तक हमें केन्द्र से फंड नहीं मिलता है, हम कहां से पेमेंट रिलीज करते। उसके बावजूद हमने 3 महीने इंतजार करने के बाद रिलीज किया और आज की तारीख में हम पेमेंट कर रहे हैं। यहां देरी केन्द्र सरकार की तरफ से हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यांश एक साल भी पूरा नहीं मिला है। यदि मुख्यमंत्री जी ने या राज्य सरकार ने पैसा दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका हो गया, आपने बहुत लंबा प्रश्न कर लिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि इसमें राज्यांश तीनों साल पूरा नहीं दिया गया है। वह जबरदस्ती बदनाम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना छत्तीसगढ़ में दम तोड़ देगी। आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। यह स्थिति क्यों बन रही है, इसकी सदन की समिति से जांच करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- हस्तक्षेप करेंगे। धरमलाल कौशिक जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनहित का विषय है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर गरीब के घर में टेप नल के माध्यम से नल कनेक्शन पहुंचे और यह योजना प्रारंभ की गई। अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि इसके कारण देरी हुई। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे ही पैसा आया, उसका बंदरबाट शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और आनन-फानन में जो टेंडर किये गये थे उसको निरस्त करना पड़ा। टेंडर को निरस्त क्यों करना पड़ा, यह माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- टेंडर हुए ही नहीं तो कहां से निरस्त करने की आवश्यकता होती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी मैं बोल रहा हूं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- नेता जी, आपका सम्मान है, आप सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं क्या बैठ जाऊं ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- हॉ, बिल्कुल आप बैठ जाईये, मैं इसमें बोलना चाहूंगा, क्योंकि सदन में गलत जानकारी दी जा रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- ठीक है, आप बोल लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उचित भाषा नहीं है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं तो सम्मान के साथ बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आपने पूरी बात नहीं सुनी तो नेता प्रतिपक्ष जी क्या गलत बोल रहे थे ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अजय जी, मैं तो उनको सम्मान के साथ बैठने के लिए कहा। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। क्योंकि जब गलत जानकारी दी जायेगी तो मैं तो बोलूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं और उनको मंत्री बैठाये हैं, यह पहली घटना है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जब हमारे नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं तब तो आप लोग सुनते नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष इन दोनों को अधिकार है। माननीय गुरूजी सम्माननीय हैं, परंतु नेता प्रतिपक्ष जी की बात पूरी

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

हो जाये, उसके बाद वह जवाब दें। उनको कहें कि वह बैठ जायें, मुझे बोल लेने दें, यह थोड़ा उचित नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा कि कैसे टेंडर हुआ, उसको कैसे केबिनेट ने निरस्त करने का निर्णय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का पेपरों में स्टेटमेंट छपा। क्या वह सब गलत था ?

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी आप प्रश्न कीजिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मेरे को यह बोलकर बैठाया गया कि नेता जी बोलेंगे। क्या आप नेता जी बन गये हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लक्ष्य का 20 प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण योजना है और योजना के माध्यम से गरीबों के घर तक टेप नल पहुंचा करके देना है। पूरी गर्मी निकल गई। पूरे गर्मी में एक भी जगह लोकार्पण की कार्यवाही पूरे क्षेत्र में नहीं हुई। मैं बिल्हा, बिलासपुर और मुंगेली दोनों विधानसभा में मेरे क्षेत्र आता है। गरीबों को पानी नहीं पहुंचा पाये, लोग पानी के लिए तरसते रहे। और जो रिकार्ड में आया है कि यह योजना 2020 से प्रारंभ किये हैं और इस योजना के लक्ष्य को सितंबर 2023 में पूर्ण करना है। यदि आप सितंबर 2023 में योजना को पूर्ण करेंगे और अभी हम जुलाई 2022 में बैठे हुए हैं तो लगभग 14 महीने का समय बचा है। लेकिन आपकी अभी की जो प्रगति है कि 38,74,999 कनेक्शन देने हैं और आपने 6,25,000 दिया है, इसका मतलब 32,49,295 कनेक्शन देना बचा है, आपने प्रारंभ ही नहीं किया है। अभी जो हम 3 साल का कार्य देख रहे हैं, 3 साल में आपने केवल 6 लाख कनेक्शन दिया हैं। हमारे मंत्री जी केन्द्र से आये थे और उन्होंने इस विभाग की समीक्षा की। उन्होंने जब विभाग की समीक्षा की तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश 30वें स्थान पर है, यह आपकी प्रगति है (शेम-शेम की आवाज)। आप 14 महीने में लोगों को 32 लाख नल कनेक्शन कैसे देंगे ? क्या उसकी कोई योजना है, क्या आप उसको लोगों तक पहुंचा पायेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मंथर गति से काम चल रहा है, कुल मिलाकर राज्य सरकार की जो स्थिति है कि जो केन्द्र से योजना की राशि आ रही है उस राशि का लाभ राज्य की जनता को न मिले, इसके लिये यह षडयंत्र रचा गया है, मैं यह आरोप लगा रहा हूं। हम देख रहे हैं कि षडयंत्र के कारण लगातार टेन्डर होना, निरस्त होना, उसके लिये पॉलिसी बनाना, प्रदेश के करना, उसके बाद कलेक्टर को देना और कलेक्टर को देकर कहना कि आप करिये। लेकिन इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। लेकिन गरीबों के लिये जो पैसा आया है, गरीबों तक टेपनल पहुंचना चाहिये। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप यह बतायेंगे कि आप 32 लाख नल कनेक्शन को लोगों तक कैसे पहुंचायेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि नल जल जीवन मिशन का पानी घर-घर पहुंचे।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भाषण का समय थोड़ी न है। नेता प्रतिपक्ष जी प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब मंत्री जी की तरफ से आयेगा। बृजमोहन जी बीच में खड़े होकर पूछना शुरू कर देते हैं, यह भाषण देना शुरू कर दिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता का सबसे बड़ा सदन है और इसलिये आप इसमें सदन की कमेटी बनाकर इसकी जांच करवायें, इसको द्रुत गति से करवायें। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, यह भाषण देना शुरू कर दिये हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेण्डर्ड के 30 प्रतिशत दबाव में टेण्डर हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच होनी चाहिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता प्रतिपक्ष को प्रश्न पूछने दो, भाषण क्यों दे रहे हो ? जवाब भी तो सुन लो।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी ने प्रश्न किया है।

श्री कवासी लखमा :- क्या आप लोग नेता प्रतिपक्ष जी का सम्मान करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न उठाया है, मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सितंबर, 2023 तक इस योजना को पूर्ण करना है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब स्पष्ट हो गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिये, मंत्री जी का उत्तर आने दो।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिये।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, जब यह लोग बैठेंगे तब तो मैं जवाब दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मेरे प्रश्न के उत्तर में जो बताया गया है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता प्रतिपक्ष जी कुछ पूछ रहे हैं, आप उनको पूछने तो दो।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 25 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रितपक्ष जी प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन्हें बृजमोहन अग्रवाल जी प्रश्न पूछने नहीं दे रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी नेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष मानते ही नहीं है।

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आज के प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 40,59,959 नल के कनेक्शन देने हैं। 40 लाख देने हैं, 32 लाख नहीं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके उत्तर में कहां बताया गया है। नेता जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका तो उत्तर सुनने दो।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, इसमें 25 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, बृजमोहन भैया सुन नहीं रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और यदि काम नहीं होगा तो उन्होंने कहा है कि 5 हजार प्रित दिन लगाये। हमारा पैसा लैप्स हो जायेगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास का पैसा लैप्स हो गया। यह गंभीर मामला है इसलिये हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सदन की एक कमेटी बना दें ताकि वह कमेटी माननीय मंत्री जी, सरकार को सलाह दे सके। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वाह, क्या बात है। नेता जी प्रश्न पूछिये, भाषण मत दो। प्रश्न पूछना तो आता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्न का जवाब दीजिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि ..।

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी के प्रश्न का जवाब देने दो।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, ये लोग तो सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग सुन तो लीजिये।

श्री सौरभ सिंह :- ठीक है, मंत्री जी को जवाब देने दीजिये।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी ने बताया था कि केन्द्र से पैसा विलम्ब से आया है, यह लोग इसका तो जवाब दे नहीं रहे हैं। पहले इसका जवाब दीजिये। (व्यवधान) जब उसमें पैसा दिलवाया।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी आपदाओं-विपत्तियों के बाद भी 25 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। मैं आपको पूरा आंकड़ा दे दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कोई आंकड़े नहीं है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ हमारी योजनाएं बनकर तैयार हो चुकी है। जिस दिन मैंने बजट पेश किया था, उसी दिन बताया भी था। मैंने अपने बजट भाषण में ही कहा था कि हमने 145 ग्रुप वाटर स्किम तक तैयार करके रखा हुआ है। जिसका टेण्डर भी लगना शुरू हो चुका है और मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यकीन दिलाना चाहूंगा कि हम निश्चित तौर पर समय-सीमा में काम पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बांधी जी।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) यह चालू नहीं हुए हैं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- इसका टेण्डर लगा है। आप आधा सुने हैं। इसका टेण्डर लग गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- (व्यवधान)घासीदास संग्रहालय में वैसी लगता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय,यह महत्वपूर्ण योजना है। सभी सामान्य ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान के समान है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधे-सीधे प्रश्न करिये। भईया, समय कम है। आप सीधे प्रश्न करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पक्ष और विपक्ष के पूरे प्रश्नों में देखें तो लोक स्वास्थ्य मंत्री के पक्ष और विपक्ष दोनों ने नल जल मिशन पर ऊंगली उठायी है। दोनों लोगों का एक समान विचार है। इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। पक्ष के किसी ने कोई ऊंगली नहीं उठायी है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डी.पी.आर. वाला जो मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये। आप प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दिया है, यह आएगा या नहीं आएगा।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.पी.आर. में बहुत बड़ा घपला हुआ है। इसी के ...।

अध्यक्ष महोदय :- रजनीश जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न है। मेरा छठवें नंबर में प्रश्न था। अब मैं इसी में पूछ देता हूँ। आपने बताया है कि...।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- छठवे का इसी में पूछ रहे हैं ?

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बताया है कि वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 में ...।

अध्यक्ष महोदय :- वह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। उससे संबंधित ...।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है।

श्री सौरभ सिंह :- बचे टाईम में इसी में चर्चा हो जानी चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहले इसी में प्रश्न कर लीजिए।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे दो प्रश्न इसी में पूछ देता हूँ। जो चल रहा है, वही प्रश्न लगा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप शार्ट में प्रश्न करिये। समय बहुत कम है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछ दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप केवल एक प्रश्न करिये।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा कि वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23, जो राशि आपने कही उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। इसमें आप बता रहे हैं कि राज्यांश पूरा मिल गया है तो मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूँ कि जितना केन्द्रांश मिला है, तीनों वर्ष का उतना राज्यांश मिल चुका है और तीनों वर्ष का खर्च कितना हुआ, उसमें से राज्यांश कितना है और केन्द्रांश कितना है ? मेरा इसी में एक प्रश्न और है ...।

अध्यक्ष महोदय :- केन्द्रांश, राज्यांश के बारे में तो एक्सपर्ट है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है कि आपने स्वीकार किया है। मैंने सूरजपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर का पूछा था कि क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है। आपने स्वीकार किया है कि एक शिकायत प्राप्त हुई है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे जिलों का है, लेकिन आप स्वीकार कर रहे हैं और पांचवे महीने में आपने कहा है कि आप जांच करेंगे तो उसकी जांच कब तक हो जाएगी? पांच महीने हो गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है कि एक महीने में जांच हो जानी चाहिए, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई और कब तक जांच होगी, उसके दोषी के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर सुन लीजिए। मैं अभी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप बैठिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पहले प्रश्न को पहले के भी सदस्यों ने बार-बार रिपिट किया है और मैं जवाब दे चुका हूँ कि कितना खर्च हुआ है। हमने हमारा राज्यांश पूरा दिया है कितना किसमें लगा है वह हमारे उत्तर में है। दूसरी चीजी, जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं उस अधिकारी को हमने डिवीजन में अटैच कर दिया है और उसके खिलाफ जांच चल रही है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करने से नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कितने को अटैच करेंगे ?और कितनी जांच करवायेंगे ?यह जो मामला है यह पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है। इसको आप सदन की कमेटी बनाकर, जांच करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- 33 प्रतिशत...(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- प्रदेश तीसवे नंबर पर है। आप कितने कर्मचारी को अटैच करेंगे? (व्यवधान) काम हो ही नहीं रहा है।(व्यवधान)59 लाख...(व्यवधान) आपका इसमें 6 लाख रूपये हुआ है, इसमें जांच होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी से जांच करायें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे छत्तीसगढ़ के 43 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल मिले, उनको जीवन स्तर ऊंचा उठे। वह बीमारी से दूर हों और इस योजना में छत्तीसगढ़ 30 वें नंबर पर है, यह हमारे लिए लज्जाजनक है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपके द्वारा सदन की कमेटी बनाये। मेरा कहना है कि सरकार को सुझाव, मंत्री जी को सुझाव ...।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी सरकार ने 15 सालों में कुछ काम किया होता तो हम इतने पीछे नहीं होते। हमको शुरू से शुरूआत नहीं करनी पड़ती। आप लोगों ने 65 सालों में कुछ नहीं किया इसलिए हमको शुरूआत से काम करना पड़ रहा है। अपनी भी गलतियां मान लीजिए। हम तो करके दे रहे हैं। (व्यवधान) हम बजट पूरा कर चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तेजी से काम कैसे करना चाहिए। इसके लिए आपको निर्देश देना चाहिए। हम आपसे निर्देश की अपेक्षा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट हैं। हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:59 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में (भारतीय जनता पार्टी)के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- संगीता सिन्हा जी आप जल्दी प्रश्न करिये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

बालोद वनमण्डल को नरवा विकास योजना मद में प्राप्त आबंटन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

5. (*क्र. 182) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जनवरी, 2020 से 26 जून, 2022 तक बालोद वनमण्डल को नरवा विकास योजना मद में कितना आबंटन प्राप्त हुआ तथा किन-किन नालों के उपचार में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, कार्यवार, स्थलवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जनवरी 2020 से 26 जून 2022 तक बालोद वनमण्डल को नरवा विकास योजना मद में प्राप्त आबंटन तथा व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	आबंटित राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
2019-20(जनवरी 2020 से मार्च 2020)	140.353	138.794
2020-21	364.074	77.907
2021-22	893.182	106.520
	1397.609	323.221

नालावार, वर्षवार, कार्यवार एवं स्थलवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ में दर्शित है ।**

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो उत्तर दिया है उसमें यह उल्लेखित है कि वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में बालोद वनमण्डल को नरवा विकास योजना मद में 3 करोड़ 64 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इसका आवंटन 3 करोड़ 64 लाख रूपये के लिए अब तक केवल 75 लाख 90 हजार रूपये यानी प्राप्त आंवटन का मात्र 21 प्रतिशत राशि ही व्यय होने के क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- होगे 12 बज गे चलो। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया के 144...।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट रूकिए न, सुन लीजिए। मैं समझता हूं, प्रक्रिया में समझता हूं, पहले यह हो जाने दीजिए।

(नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) के खड़े होने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- यह निर्देशित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- यह हो जाने दीजिए न। एक पटल पर रखने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण विषय कुछ नहीं है, प्रश्नकाल को चूंकि हमारे...।

अध्यक्ष महोदय :- पटल में रखने दीजिए न, भाई। उसके बाद पूछ लेना। मैं उसमें कहां दिक्कत कर रहा हूं। आप तीव्र आवाज में कुछ कहते हैं। बाकी सुनते किसी की नहीं हैं।

समय :

12:01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए) पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 पटल पर रखता हूं।

(5) आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32 दिनांक 09 मई, 2022

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-13/2017/32, दिनांक 09 मई, 2022 पटल पर रखता हूं।

(6) आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-34/2021/32, दिनांक 09 मई, 2022

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-34/2021/32, दिनांक 09 मई, 2022 पटल पर रखता हूं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(7) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

(8) राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-34/सात-1/2021, दिनांक 11 फरवरी, 2022 द्वारा अधिसूचित वृक्ष कटाई के नियम, 2022

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4-34/सात-1/2021, दिनांक 11 फरवरी, 2022 द्वारा अधिसूचित वृक्ष कटाई के नियम, 2022 पटल पर रखता हूं।

समय :
12:04 बजे

मार्च, 2022 सत्र का समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय :- मार्च, 2022 सत्र का दिनांक 22 मार्च, 2022 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 23, 24 एवं 25 मार्च, 2022 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधानसभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार मार्च, 2022 सत्र का दिनांक 22 मार्च, 2022 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 23, 24 एवं 25 मार्च, 2022 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :
12:05 बजे

मार्च, 2022 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय :- मार्च, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे ।

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार मार्च, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं ।

<u>नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन</u>

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" के अधीन मार्च, 2022 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, नियम 267 "क" के अधीन मार्च, 2022 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:06 बजे **<u>माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना (जुलाई, 2022 सत्र)</u>**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के मार्च, 2022 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से सभी 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- पंचम विधान सभा के मार्च, 2022 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से सभी 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

समय :

12:07 बजे **<u>सभापति तालिका की घोषणा</u>**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं -

01. श्री सत्यनारायण शर्मा
02. श्री धनेन्द्र साहू
03. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
04. श्री शिवरतन शर्मा
05. श्री लखेश्वर बघेल

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपसे इतनी देर से आग्रह कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था का प्रश्न उनका पहले आया था ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में एक व्यवस्था है कि मंत्रिमण्डल हो, चाहे कार्यपालिका हो वह विधायिका के प्रति जवाबदेह रहेगी । इस संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने में यह सरकार असफल रही है । मंत्रिमण्डल का जो एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उसका भी पालन करने में यह सरकार असफल रही है और इस प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति है । एक सम्माननीय मंत्री ने एक पद से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री जी का लिखा पत्र सार्वजनिक हुआ । वस्तुस्थिति क्या है, मंत्री जी ने सरकार के ऊपर आरोप लगाये कि जनहित का 500 करोड़ रूपये गांव तक नहीं पहुंच रहा है, बिजनेस रूल का पालन नहीं किया जा रहा है या फिर...।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें पाइंट ऑफ आर्डर क्या है, यह बताईये न ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी को बता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- इतना लंबा थोड़ी न बताते हैं । पाइंट ऑफ आर्डर को पाईंट में बताना चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा न कि मंत्रिमण्डल और कार्यपालिका दोनों विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं । मंत्री की स्थिति से सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना असफल हुई, संवैधानिक संकट की स्थिति है, इस स्थिति में हमारे नियम-प्रक्रियाओं में भी यह व्यवस्था है कि मंत्री वस्तुस्थिति क्या है उसमें वक्तव्य दे या मुख्यमंत्री वक्तव्य दे और विधायिका को यह जानने का अधिकार है कि मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, यदि विधानसभा चल रही है तो विधानसभा के पटल में यह बात आनी चाहिए, उसके ध्यान में यह बात आनी चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है ? मंत्री जी वक्तव्य दें या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में सदन को अवगत करायें कि इस प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति है । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और आप इसमें व्यवस्था दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि मंत्री जी का कोई व्यक्तिगत पत्र मुख्यमंत्री जी को आया, क्या वह व्यवस्था का प्रश्न बनता है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि हम सार्वजनिक विषयों में इन विषयों को उठाते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संविधान के अनुच्छेद-177 में...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- क्या जनता का कोई और मुद्दा नहीं है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का पक्ष रखने का अधिकार मंत्रियों को दे रखा है और सरकार का पक्ष कि इस मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने इस बात को रखा है और यह सार्वजनिक रूप से रखा है । हमने पहले भी इस पर चर्चा की है । माननीय मंत्री जी ने सरकार के ऊपर अविश्वास व्यक्त किया है और अगर मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य ने सरकार के ऊपर अविश्वास व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया है तो फिर यह सरकार कहां है ? सामूहिक उत्तरदायित्व है । हमारे मंत्रियों को संविधान के अनुच्छेद 166 में राज्यपाल ने अपने अधिकार डेलीगेट किये हैं । मुख्यमंत्री को, किसी मंत्री के विभाग को छीनने का अधिकार है परंतु विभाग के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं है, यह 166(3) में है । माननीय मंत्री ने इस बात का आरोप लगाया है कि मेरे अधिकारों को छीन लिया गया है, मेरे पास यह आदेश की कॉपी है । यह लेजिसलेटिव असेंबली है, इस लेजिसलेटिव असेंबली में यदि कानून का पालन नहीं होगा, अगर अधिकारों का पालन नहीं होगा । हमारे मंत्रियों का प्रोटोकॉल बना हुआ है, हमारा प्रोटोकॉल बना है, बिजनेस रूल्स बने हैं, प्रोटोकॉल और बिजनेस रूल्स के अंतर्गत मंत्री के प्रोटोकॉल में क्या मुख्य सचिव बड़ा हो गया ? मंत्रियों के अधिकारों को अगर मुख्य सचिव की कमेटी की मीटिंग में, जो वे प्रस्ताव पारित करें उसको मंत्री अनुमोदित करे यह तो समझ में आता है, परंतु मंत्री जो निर्णय लेगा उसको मुख्य सचिव की समिति अंतिम रूप देगी, यह कौन से संविधान में है ? हमारे यहां तो विधायक, मुख्य सचिव से ऊपर है । मैं तो कहना चाहता हूं कि मुख्य सचिव को इस आदेश को मानने से मना कर देना चाहिए था । यह अनूठा उदाहरण है, अभी अजय चन्द्राकर जी आपको बता रहे थे कि अगर कोई मंत्री अपने एक विभाग से भी इस्तीफा देता है तो उसका वक्तव्य आना चाहिए । यह हमारी कार्य प्रक्रिया में है । उन्होंने अपना एक विभाग छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो जब तक इस सदन में उन मंत्री महोदय का वक्तव्य न आ जाए और मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण न आ जाए, तब तक सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है ।

समय :
12:11 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

सभापति जी, मुझे याद आता है अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था । अधिकार तो अधिकारियों के पास होंगे लेकिन उसे राजा लागू करेगा । जब वहां पर अकाल पड़ गया और वहां कोई व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने कहा कि यह राजा की जिम्मेदारी है । यह तो अंग्रेजों का शासन हो गया है द्वैध शासन हो गया है । मैं तो कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री में दम है तो वे आकर इस्तीफा दे । क्यों ये पूरे सदन को और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं ? मंत्री ने आरोप लगाया है कि

माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा के अधिकारियों का आंदोलन करवाया, [XX][2] । अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है । मेरे पास ये चारों पृष्ठ हैं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अनावश्यक रूप से बहस मत करो, इस तरह का कोई आरोप नहीं है । आप अनावश्यक रूप से विधान सभा को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन्होंने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, साजिश शब्द का प्रयोग किया है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय बृजमोहन भइया, उन्होंने जो आरोप लगाया आप उस पर विश्वास कर रहे हो । वह सिर्फ एक आरोप है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक मुख्यमंत्री, आपने मंत्री के विभाग में साजिश करे ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय बृजमोहन जी, उन्होंने सदन में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी तक हमने सुना है कि कोई अपराधी साजिश करता है, कोई [XX] साजिश करता है । अगर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी ने साजिश की है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ? अगर किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री पर अविश्वास व्यक्त किया है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ?

श्री अमितेश शुक्ल :- आप कैसे बोल सके हो कि वे सच बोल रहे हैं ? मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो बोला है, वह सच है, यह आप कैसे मान रहे हो ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे तो मुख्यमंत्री जी बोलें ना, कि वे [XX] बोल रहे हैं । हम तो यही चाहते हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप बोलने का मौका दोगे तब बोलेंगे ना । उन्होंने जो कहा, वह सच है, यह आप कैसे मान रहे हो?

श्री शिवरतन शर्मा :- तो मुख्यमंत्री बोलें न, कि वे [XX] बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सरकार का वक्तव्य आ जाए ।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप उनकी बातों पर विश्वास कैसे कर रहे हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- आप विधायक दल की बैठक में कुछ और कहते हैं, यहां कुछ और कहते हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- देखो, छत्तीसगढ़ के प्रथम पंचायत मंत्री आपको बता रहे हैं, कोई गलत बात मत करिये ।

श्री अमितेश शुक्ल :- उन्होंने सदन में कोई स्टेटमेंट दिया है क्या, जिस पर आप बात बोल रहे हो ? उन्होंने जो बोला है, वह सच है या [XX], इस पर आप विश्लेषण करिये ।

श्री सौरभ सिंह :- आप विधायक दल की बैठक में कुछ और बोल रहे थे, यहां कुछ और बोल रहे हो ।

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, माननीय पूर्व मंत्री जी बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं । मैं प्रथम पंचायत मंत्री हूं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- (हंसी) मैंने तो स्टेटमेंट में बोला ही नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इन्होंने ज्यादा ज़ोर देकर बोला कि मैं प्रथम पंचायत मंत्री हूं और इधर पंचायत मंत्री की सीट ख़ाली हो रही है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अमितेश जी के खड़े होने का कारण भी वही है कि पंचायत विभाग ख़ाली हुआ है ।

श्री अमितश शुक्ल :- आप सिर्फ यह जवाब दे दीजिये कि आप विश्वास कैसे कर रहे हैं कि वह बात सत्य है या असत्य है? आप यह कैसे जानेंगे?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें कि टी.एस. सिंहदेव जी ने गलत कहा है। मुख्यमंत्री जी सदन में बोल दें कि टी.एस. सिंहदेव जी ने गलत कहा है।

श्री अमितेश शुक्ल :- क्या टी.एस. सिंहदेव जी ने सदन में कोई स्टेटमेंट दिया है? यदि उन्होंने सदन में स्टेटमेंट दिया होता तो हम निश्चित रूप से उस पर सदन में चर्चा करते और उस बात को सच भी मानते। बृजमोहन भैया, उन्होनें सदन में कोई स्टेटमेंट दिया है क्या?

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय अमितेश जी, हम लोग तो आपके लिए ही खड़े हुए हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैंने जो वर्ष 1765, 1772 का उदाहरण दिया। अंग्रेजों ने जो द्वैध शासन पद्धति अपनाई थी, आज वही पद्धिति भूपेश बघेल जी के राज में अपनाई जा रही है। मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं है, उसको सिर्फ सदन में उत्तर देना है और निर्णय करेंगे मुख्य सचिव। मेरे पास में एक पत्र है। मैं आपको उस पत्र को पढ़कर बता देता हूं। वर्ष 2020-21 में विभिन्न विभागों में संचालित Discretionary योजनाओं को स्वीकृति जारी करने के प्रक्रिया प्रावधान कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश में लागू लॉकडाउन की स्थिति से राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व की कमी को देखते हुए विभिन्न विभागों में संचालित Discretionary योजनाओं की स्वीकृति जारी करने हेतु वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया प्रशासकीय विभागों व निकायों द्वारा निर्णय को आगामी आदेश तक स्थगित रखते हुए केवल अतिआवश्यक कार्यों की ही निम्नानुसार समिति गठन की जाती है। इस पत्र में दिया हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- वह भंग हो गई है क्या?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, भंग नहीं हुई है?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को पूछ रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसके बाद में दिनांक 06.05.2021 को इसको पुन: लागू किया गया है। इसके बाद में दिनांक 25.03.2022 को पुन: लागू किया कि यह समिति काम करेगी। कोरोना काल तो समाप्त हो गया है।

वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- कहां समाप्त हुआ है? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्यों समाप्त नहीं हुआ? यह वर्ष 2022 में पुन: लागू हुआ है। माननीय सभापति महोदय, जिस सरकार में मंत्रियों को सामूहिक जिम्मेदारी है, मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। वह राज्यपाल के प्रति उत्तदायित्व हैं और राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व रहते हुए यदि एक मंत्री सरकार के ऊपर में यदि आरोप लगाता है, चार पेज का पत्र लिखता है, उसको सार्वजनिक समाचार पत्रों में छपवाता है और अंत में लिखता है इसे प्रेस को जारी करता है, अंत में लिखता है कि मैं अपने आप को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से पृथक कर रहा हूँ। यदि कोई मंत्री इस प्रकार का पत्र लिख देता है, उसके बाद में मंत्रिमण्डल के ऊपर में कैसे विश्वास होगा? संविधान के अनुच्छेद 166 (A)(3) के अंतर्गत राज्यपाल को जो अधिकार है, उन राज्यपाल के अधिकारों की वह अवहेलना कर रहा है। मंत्रिमण्डल को शपथ राज्यपाल दिलाता है। यह पूरी सरकार राज्यपाल के behalf में काम करती है। विभागों का वितरण भी राज्यपाल की सहमति से ही होती है। आज सरकार को सबसे पहला काम यह करना चाहिए था कि मंत्री का वक्तव्य आये और उसमें मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहें। परंतु आज उसके बिना यह सदन चलना प्रारंभ हो गया। हम तो आपसे चाहेंगे कि जब तक यह प्रकरण का निराकरण नहीं होता है, तब तक आप सदन की कार्यवाही स्थगित करिये, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मंत्री ने विभाग वापिस लिये हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी विभाग वापिस लिये हैं परंतु पहली बार कोई मंत्री आरोप लगाकर, वह भी जनहित के मुद्दों पर आरोप लगाकर, साजिश करने का आरोप लगाकर, विभाग का काम रोकने का आरोप लगाकर अपना एक विभाग छोड़े, शायद यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय सभापति जी, उन्होंने जो आरोप लगाये हैं, उसका बृजमोहन जी आधार बतायें। आरोप लगा दिये, उसी में कौआ कांड हो गया, उसी में वह उड़ते चले जा रहे हैं। आरोप का आधार क्या है, उसको आप बृजमोहन जी से पूछिये? पेपर में जो छप गया है, उसको वह आधार मानने की बात बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आप भी मंत्री रहे हैं। एक मंत्रिमण्डल की प्रक्रिया है कि यदि मैं मंत्री के रूप में कोई निर्णय लेता हूं, मेरे निर्णय से यदि मेरे विभाग का सचिव सहमत नहीं हैं, तो वह को-ऑर्डिनेशन में जायेगा, को-ऑर्डिनेशन में जाकर उसमें मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, उसमें मंत्रिमण्डल का निर्णय होगा परंतु यहां तो मंत्री का निर्णय मुख्य सचिव की समिति निर्णय करेगी। यह कौन-सा नियम है, कौन-सा कानून है, कौन-सा संविधान है? किसके तहत यह सब कार्रवाई हो रही है?

क्या छत्तीसगढ़ की सरकार बिना संविधान के चलेगी? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार बिना नियम, कायदा-कानून के चलेगी? आज नियमों में यह है कि यदि मंत्री अनुपस्थित रहता है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, इस पर चर्चा प्रारंभ नहीं हो सकती है। किस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा होगी?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह चर्चा नहीं है। यह लेजिस्लेटिव असेम्बली है। यह लेजिस्लेटिव असेम्बली है।

श्री अजय चंद्राकर :- यह नियम में है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- नहीं। यह ठीक नहीं है।

श्री अमितेश शुक्ल :- यह आरोप है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह लेजिस्लेटिव असेम्बली है और हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय :- नहीं, यह उचित नहीं है। यह ठीक नहीं है। चंद्राकर जी, यह उचित नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री अमरजीत भगत :- इतना गंभीर आरोप...। (व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय सभापति महोदय, यदि कोई किसी पर आरोप लगा देगा तो उस पर चर्चा होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा थोड़ी न होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि अगर किसी मंत्री ने सरकार पर आरोप लगाकर...। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह नियम और प्रक्रिया में है और इस पर व्यवस्था आनी चाहिए। सरकार इस नियम का उल्लंघन कर रही है। संविधान के प्रति सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं सरकार उससे भाग रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर यह कहें कि हम उनको मंत्रिमण्डल से निकालते हैं। चलिये, हम तैयार हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा नहीं हो सकता कि संविधान के विपरीत सरकार चले और यह सदन चले। आप ऐसा कहे तो ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। यदि मुख्यमंत्री जी खड़े होकर यह कहते हैं कि उन्होंने मंत्रिमण्डल पर अविश्वास व्यक्त किया है इसलिए हम उनको मंत्रिमण्डल से निकालते हैं तो चलिये, आप सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाइये। मुख्यमंत्री जी खड़े होकर यह बोल दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- यह संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, यह संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आरोप लगा है यह तो साबित है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है। अपना पत्र जारी किया है और उस पत्र के जारी होने के बाद संवैधानिक संकट होने के बाद इस सरकार को एक मिनट भी काम करने का अधिकार नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसमें तो व्यवस्था आनी ही चाहिए। ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति नहीं हुई है।

सभापति महोदय :- देखिये, शून्यकाल में संक्षेप में चर्चा की अनुमति। इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है क्योंकि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है।

समय :
12:21 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप किसी भी विषय में चर्चा मत कराइये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आसंदी से व्यवस्था आ जाए। आसंदी इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 177 और 173 के तहत...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- पहले तो आप यह बता दीजिए कि आप किस नियम के तहत इस पर चर्चा कर रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था के प्रश्न में आपसे व्यवस्था मांग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप व्यवस्था मांग रहे हैं न। यह उनको किसने दिया?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी उसी में व्यवस्था मांग रहा हूं। (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- हम संविधान के उल्लंघन में व्यवस्था मांग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप यह बताइये कि किस नियम के तहत यह व्यवस्था के प्रश्न में आता है? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें यह अधिकार है, यह व्यवस्था के प्रश्न का नियम नहीं है। कोई भी सदस्य व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर सदन में खड़े होकर बातचीत कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका व्यवस्था का प्रश्न मंत्री के तिथि का व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के तहत आता है?

श्री अजय चंद्राकर :- आप न यह व्यवस्था करे कि...। यह व्यवस्था आ जाए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ध्यानाकर्षण सूचना। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था तो कभी भी मांग सकते हैं। व्यवस्था तो कभी भी मांग सकते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- यह आसंदी की व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक संकट है।

श्री नारायण चंदेल :- यह संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- कोई संवैधानिक संकट नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? आप हमें व्यवस्था दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- किसी मंत्री का पत्र लिखना संवैधानिक संकट नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक संकट है। अगर आप इस सदन को चलाएंगे तो नियम, कानून-कायदे और संविधान का पालन करवाना आपका दायित्व है। हम आपसे आग्रह करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायिका चल रही है और यह विधायिका का उत्तरदायित्व है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आसंदी से व्यवस्था जा जाए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो सदस्य ने कहा है और न ही इसकी कोई लिखित सूचना है तो फिर किस आधार पर यह चर्चा मांग रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप लोग अपनी बात करते रहेंगे? आप लोग मेरी भी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मेरा कहना यह है कि यदि किसी मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो वह व्यवस्था के प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं आता है।

अप्रवर्तित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल आता है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर आरोप भी लगाया है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सार्वजनिक हुआ है। मुख्यमंत्री जी पर यह आरोप लगा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह इसलिए व्यवस्था के प्रश्न के अंतर्गत आता है...।

श्री अजय चंद्राकर :- उन्होंने मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि इस्तीफा स्वीकार करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री कवासी लखमा :- आप अध्यक्ष महोदय की बात नहीं सुनेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम सुन रहे हैं। अगर किसी मंत्री ने संवैधानिक संकट खड़ा किया है।

श्री नारायण चंदेल :- यह सरकार के ऊपर आरोप है।

श्री अजय चंद्राकर :- सवाल यह है कि उन्होंने इस पत्र में मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया है।

अध्यक्ष महोदय :- लेकिन अभी तक इस्तीफा स्वीकार करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सदन की कार्यवाही चल रही है तो विधायिका को यह जानने का अधिकार है।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस पत्र को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा...। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व है या नहीं है?

अध्यक्ष महोदय :- आप ऐसे ही आराम से बात कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामूहिक उत्तरदायित्व है या नहीं है?

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी तरह चिल्ला नहीं सकता हूं। आप आराम से बात कीजिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यह क्यों चिल्ला रहे हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यदि सामूहिक उत्तरदायित्व है और यदि किसी मंत्री ने आरोप लगाया है तो सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन हुआ या नहीं हुआ? यदि सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं हुआ है तो इसमें मंत्री जी का वक्तव्य या माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि उन्होंने सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन किया है तो मुख्यमंत्री जी को उनको मंत्रिमण्डल से निकाल देना चाहिए और सदन में इसकी घोषणा कर देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपने अपनी बात रख दी?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नियम देख लीजिए कि सदन के प्रति सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। यह इन नियमों में है। हम आपके द्वारा बनाये गये नियमों की ही चर्चा कर रहे हैं। अगर सामूहिक उत्तरदायित्व है और यदि मंत्री जी ने सरकार के ऊपर अविश्वास व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाया है...। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कोई आधार नहीं है। मान लीजिए कि यदि मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है तो मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से वह चिट्ठी इनके कार्यालय में कैसे पहुंची और सार्वजनिक कैसे हुई?

श्री अजय चंद्राकर :- उन्होंने प्रेस में दिया है।

श्री अमरजीत भगत :- उन्होंने तो प्रेस में नहीं दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोगों को मीडिया से मिल गयी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के पास चिट्ठी कैसे पहुंची? (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- यह लोग छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप बैठ जाइये। उनको कहने दीजिए, वह क्या चाहते हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, असली [xx][3] यही लोग हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बृजमोहन जी, एक मिनट।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह चिट्ठी इनके पास कैसे पहुंची?

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- इनके पास चिट्ठी कैसे पहुंच गयी? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पास चिट्ठी कैसे पहुंची? अगर कोई मंत्री मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखता है तो वह चिट्ठी इनके पास कैसे पहुंची?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, असली [xx] यही लोग हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह [xx] आरोप है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वरिष्ठ मंत्री ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा और उन्होंने उस पत्र में विभाग छोड़ने के लिए कह दिया। उन्होंने कुछ आरोप भी लगाया और कुछ असफलताओं का भी जिक्र किया। यह चर्चा पिछले 4 दिनों से पूरे पब्लिक डोमेन में हो रही है। वह मंत्री यहां पर नहीं हैं। सदन की कार्यवाही चल रही है और पंचायत विभाग का कहीं अता-पता नहीं चल रहा है। मैं यह बोल रहा हूं कि जब यह मामला नहीं था तो आखिर 61 विधायकों ने दस्तखत क्यों किये ? 61 विधायकों ने दस्तखत किया। [XX] का बयान आता है कि दिल्ली में इसमें बात करेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 65 विधायकों के दस्तखत हैं ।

---

[3] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, अब यह स्पष्ट हो जाए कि 61 हैं या 65 है ? इन्हीं लोगों को पता है, इनके पास पूरा रिकार्ड है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 71 भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ता है ? मुख्यमंत्री में ताकत होगी, आप लोग एक भी विधायक दस्तखत नहीं करोगे । आप लोगों को महत्व दे रहे हैं, इतना ही समझो । वे महत्व नहीं देंगे, तब भी आप लोग कुछ नहीं कर सकते । यह तो मैं पहले ही बोल चुका हूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, उनके बयान में विरोधाभाषी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप टिके इसलिए हो कि टी.एस. सिंहदेव का विरोध कर रहे हो । नहीं तो कब से बिदा हो गए होते ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके बयान में विरोधाभाषी है । एक बोलते हैं कि 61 विधायकों के हस्ताक्षर हैं, दूसरे सदस्य बोलते हैं कि 65 लोगों के हस्ताक्षर हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में न केवल सदन को, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए । गांव-गांव में यह चर्चा का विषय है । वैसे भी [XX] (हंसी) मुझे तो नहीं लग रहा है कि [XX] लेकिन इसमें जो भी स्थिति है, वह मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए । आप बता दीजिए । आप पूरी तरह से अपने पक्ष में बोल दीजिए, हम कहां आपत्ति कर रहे हैं, पर हम आपके माध्यम से जनता की मांग को व्यवस्था के माध्यम से हम यहां पर मांग कर सकते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आरोप लगाए हैं कि [XX] उसको विलोपित कीजिए । यह बहुत आपत्तिजनक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX][4] बोले हो, पहले उसको विलोपित करवाओ, [XX] बोले हो, पहले उसको विलोपित करने की मांग पहले करो । उनको [XX] बोलने का अधिकार है क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत आपत्तिजनक है, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी की चर्चा में जितने भी ऐसे शब्द होंगे, जिनको विलोपित करना है, मैं उसको विलोपित कर दूंगा ।

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, पर गोपनीय पत्र रहते हैं, अर्धशासकीय पत्र रहते हैं, वह कभी चर्चा का विषय नहीं बनते, पर माननीय टी. एस. सिंहदेव साहब ने 16 तारीख को जो पत्र लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक बार और उसको कहिए, जिसको आपने अभी कहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, चर्चा का विषय नहीं है तो जबरदस्ती क्यों ला रहे हो, आराम से बैठो ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । आपने अभी जो पहले शब्द कहा है, उसी को दोहरा दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री, मुख्यमंत्री को गोपनीय पत्र लिखते हैं, अर्ध्यशासकीय पत्र लिखते हैं, वह चर्चा का विषय नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- वह नहीं होता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पर माननीय टी. एस. सिंहदेव साहब ने 16 जुलाई को जो पत्र लिखा है, पत्र लिखने के साथ मीडिया को और खुला पत्र जनता के नाम जारी किया है । सारे समाचार-पत्रों में यह पत्र छपा है, सारे सोशल मीडिया में यह पत्र छपा है । यह पत्र सामान्य पत्र नहीं है । इस पत्र के माध्यम से माननीय टी. एस. सिंहदेव साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी ऊपर 5 आरोप लगाए हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने नहीं छपवाया है, इन लोगों ने छपवाया है । इनके कार्यालय से ही जारी हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी बैठक भी हमने ली है क्या, हमने कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली क्या, हमने दस्तखत करवाया क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब तो माननीय मंत्री जी ने और गंभीर बात कर दी। यह पत्र मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा तो मुख्यमंत्री जी के यहां से लीक हुआ है या मंत्री जी के यहां से लीक हुआ है, यह पत्र बाहर कैसे आया ? यह तो संविधान की जो शपथ ली है, उस शपथ का भी उल्लंघन है कि जब तक आवश्यक न हो, मैं ऐसी किसी बातों को जनता के सामने नहीं लाऊंगा, यह शपथ है । अगर यह गोपनीय पत्र है और यह जनता के सामने आया है तो एक मिनट भी इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है । इन्होंने शपथ ली है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय टी. एस. सिंहदेव साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर सीधे-सीधे 5 आरोप लगाए हैं ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे पुन: आग्रह करना चाहता हूं कि इस [XX][5] में कौन-कौन शामिल थे, निष्पक्ष रूप से इस की जांच होनी चाहिए । अगर कोई मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखता है तो विपक्ष को कहां से मिला ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, पहला आरोप तो यह है कि 8 लाख आवास नहीं बन पाये, मैं लगातार बात करता रहा । दूसरा, प्रोटोकॉल के विपरीत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई, उसका उल्लेख है और तीसरा, पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों के बारे में बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री के ऊपर साजिश कराकर रोजगार सहायकों के हड़ताल कराने का आरोप है । यह एक मंत्री, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं तो यह सामान्य घटना नहीं है । मैं समझता हूं कि इस देश में और हमारे प्रदेश में तो पहली घटना है कि जब एक मंत्री, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हों, मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए । इस पत्र में क्या सच्चाई है और वे उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ? या तो मंत्री गलत हैं या मुख्यमंत्री गलत हैं । यह समाचार पत्र नहीं है, यह पत्र है, जो माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, समाचार-पत्र की कतरनें कभी भी चर्चा का आधार बन सकती है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अमरजीत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि समाचार-पत्रों के आधार पर मंत्री के इस्तीफे की चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यह समाचार-पत्र का आधार नहीं हैं, यह माननीय मंत्री का पत्र है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप समाचार-पत्र का उल्लेख कर रहे हैं और विधान सभा सचिवालय के पास मंत्री के इस्तीफा स्वीकार करने की कोई सूचना नहीं आई है । इसीलिए इस पर बहस नहीं हो सकती । अब ध्यानाकर्षण सूचना । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो ब्लंडर हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यान आकर्षण सूचना।

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद फोन पर बात करने का प्रयास किया, जो समाचार-पत्रों में छपा है। मैं फिर समाचार-पत्र बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- समाचार-पत्रों में छपा है, आप उसको विषय थोड़ी बना सकते हैं ?

श्री धरम लाल कौशिक :- समाचार-पत्रों में छपा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं एक फोन लेकर आया हूं, मैं मुख्यमंत्री जी और उनको देना चाहता हूं ताकि उस फोन से दोनों की बात हो जाये। पता नहीं वह कौन सा फोन है ? वह फोन करते हैं तो मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पा रही है। जब मुख्यमंत्री जी बात करते हैं तो उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए दोनों को फोन देना पड़ेगा।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. रमन सिंह का फोन पहले से ही काम करना बंद कर दिया है। वह काम नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- बरसात के कारण सिगनल बहुत खराब है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पत्र लिखा तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम चल गया। समाचार-पत्रों और मीडिया के साथियों को मालूम है, अधिकारियों को मालूम है। पुनिया जी को मालूम है और दिल्ली में नेताओं को मालूम है। लेकिन केवल यदि किसी को मालूम नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है। तो क्या हम यही कहें **[XX]**[6] कि आप अपने मंत्री के आवाज को भी नहीं सुन पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि केवल सामान्य पत्र हो तो अलग बात है। पत्र में है कि मुख्यमंत्री ने साजिश किया। जब मुख्यमंत्री, अपने मंत्री के ऊपर साजिश कर सकते हैं तो इस प्रदेश में गंभीर संवैधानिक संकट की स्थिति है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एकदम आपत्तिजनक है। दूसरे के घर में क्या-क्या पक रहा है, इस पर भी आपत्ति है। यह दूसरे के घर में क्या-क्या करते हैं ?

श्री धरम लाल कौशिक :- जब अपने मंत्री के ऊपर साजिश कर सकते हैं तो इस प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बार-बार कहा कि आप प्रधानमंत्री आवास नहीं बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी राशि भेज रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गरीबों को आवास मिलना चाहिए। लेकिन आज यह पता लगा कि गरीबों को क्यों आवास नहीं मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं है कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, **[XX]** उसमें यह भी लिखा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- **[XX]** प्रधानमंत्री आवास के लिए 5-6 बार पत्र लिखकर बात किया गया। मुख्यमंत्री जी से बात किया गया। अधिकारियों से बात किया गया, उनसे बात करने के बाद ना

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

मुख्यमंत्री जी ने पहल की और ना अधिकारियों ने स्वीकृति दी। इसलिए उन्होंने कहा कि आज मंत्रिमण्डल में मेरी जो स्थिति है, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। जब एक मंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, ऐसे में संवैधानिक संकट की स्थिति है और इस सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। यह केवल एक मंत्री की स्थिति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि एक मंत्री ने अपने जिले में बैठक बुलाई थी, उसकी सूचना पहुंच गई। सूचना पहुंचने के बाद वहां अधिकारी उपस्थित हो गये। एक अदना सा अपर कलेक्टर ने आकर कहा कि इस बैठक की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बैठक निरस्त करता हूं। मंत्री जी जो बैठक लेने वाले थे, मंत्री जी बैठक नहीं ले पाये। क्योंकि एक अपर कलेक्टर ने कहा कि मैं बैठक को निरस्त करता हूं। तो क्या यह संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं है ? ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो संकट की स्थिति चल रही है, वह संवैधानिक संकट की स्थिति है। यदि मंत्री जी उपस्थित होते तो हम उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते कि आपने आरोप लगाया है तो आप सदन में बोलिये। आज जब मंत्री जी सदन में नहीं हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आपको suo-moto बयान देना चाहिए था। यदि बयान नहीं दिए हैं तो आप बयान दीजिये। यदि मंत्री जी गलत लिखे हैं तो गलत बोलिये, यदि मंत्री जी को निकालना है तो उसकी घोषणा करिये। लेकिन इसका निराकरण होना चाहिए, तब सदन की कार्यवाही चलेगी। नहीं तो संवैधानिक संकट की स्थिति में कार्यवाही आगे नहीं चलेगी। इसका निराकरण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी द्वारा, सभा में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई, 2022 को सभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहेंगे, इसकी सूचना मुझे मिली है। उनके द्वारा श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री को उनके विभागों से संबंधित कार्य को देखने के लिए अधिकृत किया गया है। इस बारे में इतनी बहस नहीं हो सकती।

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(12:35 से 1:24 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

1:24 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है और राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा । मंत्रियों के बारे में उपबंध- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा । (व्यवधान)

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग इधर से भी पढ़ा सकते हैं । हमारे प्रथम पंचायत मंत्री पढ़ सकते हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मंत्री ने मुख्यमंत्री के ऊपर अविश्वास व्यक्त किया है, इसी के 163 (2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा । अगर सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है तो मंत्री का वक्तव्य आना चाहिये, मुख्यमंत्री का वक्तव्य आना चाहिये । दोनों वक्तव्य नहीं दे रहे हैं । मंत्री आपसे छुट्टी लेकर चला जाता है, उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य के मंत्री के रूप में अगर कोई मंत्री शपथ लेता है- मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा । मैं भारत की प्रभुता, अखण्डता, अक्षक्षुण रखूंगा । हम लोगों ने उसी गोपनीयता की शपथ...। (व्यवधान)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अरे वोला सब जानथ हवय । चिन्ता मत करना । हमन कई बार पढ़े हवन । माननीय अध्यक्ष जी, क्या-क्या बोल रहे हैं । उसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं । उसको सब जानते हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ । (व्यवधान)

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- उसको तो सब जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक ...।

अध्यक्ष महोदय :- अरे कोन दिलाथे यार तोला शपथ अभी ?

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- माननीय मंत्री जी, उसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी आपको शपथ कौन दिला रहा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब मंत्री जी ने सम्यक निर्वहन के लिये वह पत्र जारी किया है, सरकार पर अविश्वास व्यक्त किया है, अगर आप विधायक की भी शपथ देखेंगे तो एक विधायक भी संघर्ष की शपथ लेता है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अरे बाबा शपथ मत दिलाईये, समय बहुत हो गया है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संविधान का उललंघन हुआ है । (व्यवधान)

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, समय खराब कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिये । (व्यवधान)

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पढ़ी हुई बात पर चर्चा करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है । (व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- इस प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है ।

नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी, अमितेश शुक्ल को पंचायत मंत्री बना दीजिए । (व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद चंदेल :- पूरे देश के किसी विधान सभा में ऐसा दृश्य उपस्थित नहीं हुआ, जो आज छत्तीसगढ़ विधान सभा में उपस्थित हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत से इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है, वस्तुस्थिति क्या है, जनता के बीच हम संदेश देना चाहते हैं । उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के उपर, सरकार के ऊपर आरोप लगाया है । टी.एस.सिंहदेव का पत्र कोई चैतु बैसाखू का पत्र नहीं है, एक मंत्री का पत्र है । आसन्दी से कोई व्यवस्था आये और सरकार का कोई वक्तव्य आये । (व्यवधान)

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, क्या किसी आरोप पर सदन में चर्चा होगी । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX] होने का आरोप [XX] पर लगा है । (व्यवधान)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- [XX] तो आप ही लोग हो । [XX] आप लोग हो । [XX] नहीं है । तहर तो कोई सुनय नही , मंत्री जी के काबर बुराई करथंव तुमन ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी बोल ना यार ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- ये दू गोल्लर के लड़ाई मा....

अध्यक्ष महोदय :- काखर ?

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- दू गोल्लर के लड़ाई मा छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी के चुरमुट माड़ गे हे ।

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- दू गोल्लर के बीच में आही त काय होही ते ला जानथस ? तुमन गोल्लर के बीच में काबर आथव ? (व्यवधान)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- छत्तीसगढ़ के पूरा गरीब आदमी के आशियाना उजड़ गे, जौन 2000 करोड़ के नरेगा में काम करे के अवसर मिलतिस, वो पैसा के उपयोग खेती-बाड़ी में करतिन,

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- तैं गोल्लर के बीच में मत आ ना यार ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- ये तरीका से लड़ई हे, अरे बाप रे, षडयंत्र तरीके से । योजना बनाके । ये बहुत गंभीर बात ए । छत्तीसगढ़ से खिलावा करथे, अध्यक्ष महोदय । इस तरह से बातचीत उड़थे, निश्चित तौर पर एमा..। (व्यवधान)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- बोले के जरूरत नई हे, जबरदस्ती एला बोलाय जावथे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये ना, आप बोलो ना भई ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- तोर काय बबा । तै कतेक लड़ई कर डरबे बता दो । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठ ना गा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- व्यवस्था तो हम लोगों ने उठाया है, मंत्री लोग क्यों खड़े हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- मंत्री होते तो मंत्री जी से अपन बात करते । मंत्री जी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आये और उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी । इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुये हैं, उनका वक्तव्य आये । इसके बिना कार्यवाही चालू नहीं होगी । (व्यवधान)

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- अच्छा तहीं निर्णय करबे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चौबे जी को बोलने दीजिए । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी व्यवस्था के प्रश्न में खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप लोग बात तो सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- वह बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- क्यों, यह कोई जरूरी है? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी बोलें, मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा है। आप नहीं बोल सकते हैं। आपके ऊपर नहीं, मंत्रिमंडल के ऊपर में आरोप है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सुनी सुनाई बातों में विश्वास न करो।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी वक्तव्य दें या मंत्री जी आकर वक्तव्य दें। यह मुख्यमंत्री जी के ऊपर में, मंत्रिमडल के ऊपर में आरोप है। उन्होंने मंत्रिमंडल के ऊपर में अविश्वास व्यक्त किया है। (व्यवधान)

अभिलेख/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को पूर्वान्ह 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(अपरान्ह 1 बजकर 31 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 30, शक सम्वत 1944) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 20 जुलाई, 2022

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं